न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी :: श्री अंश दीप आई.ए.एस.

राजस्व अपील:: 23/2020 ::

जीसीएमएस नम्बर :: 2020/00162

अपीलांट :–	बनाम	रेस्पोडेन्ट :–
बाबुलाल पुत्र श्री फुसारामजी जाति घांची निवासी खैरवा, तहसील पाली, जिला पाली (राज.)		राजस्थान सरकार, जरिये भूमिधारी तहसीलदार, पाली जिला पाली (राज.)

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री नारायणलाल कुमावत
रेस्पोडेंट की ओर से सरकारी पैरोकार उपस्थित

–:: नि र्ण य ::–

दिनांक :– 1-4-21

अधिवक्ता अपीलांट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 न्यायालय नायब तहसीलदार पाली द्वारा प्रकरण संख्या 02/2020 बअनवान सरकार बनाम बाबुलाल में दिनाँक 30.06.2020 को पारित आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। अपील अपीलांट म्याद बाहर होने से अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम के तहत एक प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। अपील अपीलांट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंटगण जरिये नोटिस एवं अपीलाधीन रेकर्ड तलब किया गया। एवं बहस उभय पक्ष सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने वक्त बहस कथन किया कि पटवार हल्का खैरवा की रिपोर्ट के आधार पर रेस्पोडेंट ने अपीलांट के विरूद्ध प्रकरण अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत दर्ज कर अपीलांट को मौजा ग्राम खैरवा के खसरा नम्बर 1058 रकबा 2.05 बीघा किस्म गैर मुमकिन रास्ता में से 0.05 बीघा व खसरा नम्बर 1142 रकबा 26.09 बीघा किस्म गैर मुमकिन रास्ता में से 0.03 बीघा कुल 0.08 बीघा पर अतिक्रमण करने बाबत कार्यवाही करते हुए नोटिस जारी किया गया। तथा दिनांक 09.06.2020 को धारा 91 के संबंध में नोटिस दिया जबकि प्रकरण ही 10.06.2021 को दर्ज हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थी द्वारा जवाब पेश किया गया था जिस के तथ्यो पर गौर नहीं किया गया तथा अपीलांट की खातेदारी भूमी व गैर मुमकिन रास्ते की भूमी का सीमांकन नहीं करवा कर विधीविरूद्ध तरीके से जैर अपील आदेश पारित किया गया है जो निरस्त किए जाने योग्य है अपीलांट को प्रकरण दर्ज करने से पूर्व ही नोटिस जारी किया गया है जो विधिविरूद्ध होने से अपीलाधीन आदेश निरस्तनीय है। अपीलांट की खातेदारी भूमी खसरा नंबर 1057/2 व गैर मुमकिन रास्ते की भूमी का सीमांकन करवाये बिना ही कार्यवाही की गई है जो विधिविरूद्ध होने से अपीलाधीन आदेश निरस्तनीय है। अपीलांट ने जवाब प्रस्तुत किया उससे अतिक्रण के सम्बन्ध में रिपोर्ट बाबत लिखा था। जिसे भू अभिलेख निरीक्षक ने अपीलांट की खातदारी भूमि खसरा नम्बर 1057/2 व गैर मुमकिन रास्ते की भूमि खसरा नम्बर 1058 व 1142 का सीमांकन नहीं कर मात्र अंदाज के आधार पर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की एवं मातहत अदालत द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया जो निरस्त करने योग्य है। अपीलांट के कब्जा उसकी स्वयं की कृषि भूमी खसरा नम्बर 1057/2 रकबा 1.10 बीघा की भूमी पर है अन्य किसी भूमी पर अपीलांट का कब्जा नहीं है आदेशिका दिनांक 30.06.2020 में अधीनस्थ न्यायालय में अंकित किया है कि खसरा नम्बर 1058 रकबा 0.02 बीघा पर अतिक्रमण नहीं पाया गया है पटवार हल्का द्वारा उक्त खसरा पर अतिक्रमण बताया है इस प्रकार आदेशिका दिनांक 30.06.2020 व हल्का पटवारी की रिपोर्ट दिनांक 09.06.2020 में विरोधाभाष है जिसकी सत्यता की जांच किए बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया जो निरस्त योग्य है अपीलार्थी को सुनवाई हेतु अवसर नहीं दिया गया न साक्ष्य सबूत पेश करने व जवाब प्रस्तुत करने हेतु अवसर दिया गया तथा एक तरफा कार्यवाही करते हुए तथा अपीलांट को अतिक्रमी मानते हुए अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया। जो निरस्तनीय है। भू अभीलेख निरीक्षक की रिपोर्ट पेश होने पर दिनांक 30.06.2020 को बिना साक्ष्य, सबूत, गवाह लिए तथा अपीलांट को बिना अवसर दिए अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया जो निरस्त योग्य है। दिनांक 29.07[illegible] पटवार हल्का खैरवा मौके पर आने तथा अपीलार्थी को जैर अपील आदेश की [illegible] देने पर प्रथम बार पता चला तथा दस्तावेजों की प्रतिलिपी दिनांक [illegible].08.2020 को अपील तैयार कर श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत कर [illegible] जानकारी से अन्द[illegible] शुमार फरमावे। एवं अपीलाधीन निर्णय को अपास्त [illegible] के आदेश फरमावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2021.08.16 19:28:00 IST
Reason: SelfAttested

Ansh

जिला कलेक्टर, पाली

क्रमश..........2

सरकारी पैरोकार ने वक्त बहस कथन किया कि पटवार हल्का द्वारा खसरा नंबर 1058 व 1142 गैर मुमकिन रास्ता की भूमी पर अपीलांट के विरूद्ध अतिक्रमण करने बाबत रिपोर्ट पेश की गई थी। जिसकी भू अभिलेख निरीक्षक खैरवा द्वारा बाद जांच खसरा नंबर 1142 पर अतिक्रमण पाये जाने पर जैर अपील आदेश अपीलांट को नोटिस दिया जाकर जवाब प्राप्त कर पारित किया गया जो विधि सम्मत है अपीलार्थी का कथन न्यायोचित नहीं है कि खसरा नंबर 1058, 1142, एवं 1057/2 के सीमांकन कराने का निवदेन किया गया। लेकिन अपीलार्थी का दायित्व था कि उसकी स्वयं की भूमी का सीमांकन हेतु नियमानुसार आदेश करवा कर सीमांकन करवाना चाहिए था। पटवार हल्का द्वारा अतिक्रमण रिपोट्र नापचौक कर अतिक्रमण पाया जाने पर ही रिपोर्ट की जाती है। नोटिस में दिनांक 09.06.2020 अंकित होना एक लिपिकीय त्रुटि है मात्र इसके आधार पर अतिक्रमण नहीं किया जाना प्रमाणित नहीं हो सकता है भू अभिलेख निरीक्षक खैरवा ने अपनी रिपोर्ट में खसरा नंबर 1142 पर तो अतिक्रमण माना है लेकिन अन्य खसरा रंबर 1058 में अतिक्रमण नहीं होना बताया है जो रिपोर्ट से स्पष्ट है ऐसी स्थिति में मातहत अदालत द्वारा मात्र खसरा नंबर 1142 गैर मुमकिन रास्ते की भूमी पर अतिक्रमण मानते हुए जुर्माना आरोपित करते हुए बेदखली के आदेश पारित किए गए है जिन्हें यथावत रखा जावें ।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपील के संदर्भ में न्यायहित में अपील प्रस्तुत करते समय असाधारण विलम्ब नहीं होने से अपील अपीलांट अन्दर म्याद शुमार की जाती है एवं गुणावगुण पर निर्णय किया जाता है। नोटिस में दिनांक 09.06.2020 अंकित किया जाना एक लिपीकीय त्रुटी है इससे यह नहीं माना जा सकता है कि अपीलार्थी द्वारा अतिक्रमण नहीं किया गया है। अपीलार्थी द्वारा जवाब पेश किया गया एवं भू अभिलेख निरीक्षक खैरवा से रिपोर्ट ली जाकर तद्नुरूप बेदखली के आदेश पारित करने से जाहिर है कि अपीलार्थी को सुनवाई का भी अवसर दिया गया है। पटवार हल्का खैरवा द्वारा दिनांक 09.06.2020 को अतिक्रमण रिपोर्ट प्रस्तुत की जाने पर प्रकरण दर्ज करते हुए नोटिस जारी किया गया उसके अनुसार खसरा नंबर 1058 व 1142 पर अतिक्रमण करने पर अपीलांट को नोटिस दिया गया। अपीलांट द्वारा जवाब पेश किया गया तथा भू अभिलेख निरीक्षक खैरवा से रिपोर्ट भी ली गई भू अभिलेख निरीक्षक खैरवा द्वारा दिनांक 30.06.2020 को प्रस्तुत रिपोर्ट में अपीलांट का खसरा नंबर 1058 में अतिक्रमण नहीं होना अंकित किया है लेकिन खसरा नंबर 1142 पर अतिक्रमण होना बताया जिसके आधार पर अपीलांट को ग्राम खैरवा–। के खसरा नंबर 1142 में अतिक्रमण करने का दोषी पाया है तथा उसके विरूद्ध जैर अपील जुर्माना एवं अतिक्रमित आराजी से भौतिक रूप से बेदखली के आदेश पारित किए गए है जो विधीसम्मत है। उक्त तथ्यों का उल्लेख मातहत अदालत के निर्णय में भी किया गया है। अपीलार्थी द्वारा मातहत अदालत में अपने जवाब में भी रास्ते की भूमी में पत्थर डालना स्वीकार करते हुए उन्हें साधन मिलने पर हटा दिए जाने का उल्लेख किया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट द्वारा रास्ते की भूमी में पत्थर डाल कर अतिक्रमण करना स्वीकार किया है। एसी स्थिति में मातहत अदालत द्वारा पारित जैर अपील निर्णय में हस्तक्षेप करना न्यायोचित नहीं है।

परिणामस्वरूप अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अपीलाधीन आदेश नायब तहसीलदार पाली द्वारा प्रकरण संख्या 02/2020 बअनवान सरकार बनाम बाबूलाल में दिनांक 30.06.2020 को पारित किया गया उसे यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 1-4-21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर शामिल मिसल किया गया।

(अंश दीप)
जिला कलेक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2021.08.16 19:28:00 IST
Reason: SelfAttested